सीरीज़ 4

# बदलते शहर में रोज़गार

# जयपुर में महिला कामगार

खतरा केन्द्र (संचल फॉउन्डेशन)
फरवरी 2007

# बदलते शहर में रोज़गार

# जयपुर में
# घरेलू महिला कामगार

सिरिज़ –4

स्वतंत्रा केन्द्र

(संचल फॉउन्डेशन)

फरवरी 2007

| | |
|---|---|
| प्रकाशक | खतरा केन्द्र(संचल फाउंडेशन) |
| सर्वेक्षण | हेमलता पारीक एवं मोहनलाल पारीक |
| शोध | शशिकान्त, बसब पॉल, हेमलता |
| लेखन | शशिकान्त |
| टाईपिंग एवं पेज सेटिंग | कविता जोशी, डी. लीना |
| कवर पेज | विनोद कोष्टी |
| स्केज | प्रणव प्रकाश |
| मुद्रक | लक्ष्मी पेपर सदन एण्ड प्रिंटर्स, रमेश नगर, नई दिल्ली |
| आर्थिक सहयोग | एक्शन एड इंडिया<br>फोर्ड फाउन्डेशन |

# आभार

*सर्वप्रथम आभार वयक्त करता है एक्शन एड इंडिया और फोर्ड फाउन्डेशन का जिन्होनें इस अध्ययन में आर्थिक सहयोग दिया।*

*आभार वयक्त करता हुॅ जयपुर के उन तमाम संगठनो–बजट अध्ययन केन्द्र, सिकोडिकोन, दलित मानव अधिकार मंच, निर्माण मजदुर पंचायत संगम, हलवाई युनियन का जिन्होने जयपुर मे रोजगार की वस्तुस्थिती से अवगत करवाया।*

*मुख्य रूप से आभार व्यक्त करता हुॅ लेबर एजुकेशन एण्ड डेबलपमेंट सोसाइटी, कोमरेड वकार, पी.एल.मेमरोट और प्रदीप भार्गव (आइ.डी.एस) का जिनके मदद के बिना यह अध्ययन सम्भव नही था।*

# विषय सुची


**प्रवेशिका**
1

**अध्य्यन की ज़रूरत**
3

**बदलते जयपुर की तस्वीर**
4

**जयपुर की अर्थव्यवस्था**
6

**घरेलू महिला कामगार**
9

1 निजी जानकारी
2 काम की स्थिति
3 आमदनी
4 काम से जुड़ी परिशानियां

**निष्कर्ष**
18

# प्रवेशिका

उदारीकरण की प्रक्रिया को शुरू हुए 15 साल हो चुके हैं। इन 15 सालों में बहुत कुछ बदला है। कुछ बदलाव दिख रहे हैं और कुछ ऐसे भी बदलाव हैं जो अदृश्य हैं, प्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामने नहीं है। इन 15 सालों में हुए बदलावों पर नज़र डालें तो हमें दिखाई देता है कि :–

- शहरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आयी है। लोगों का पलायन शहरो की तरफ बढ़ा है।
- सकल धरेलु उत्पाद में कृषि (प्राइमरी), उत्पादन(सेकण्डरी) क्षेत्र के योगदान में गिरावट आयी है तथा सेवा (टरश्यरी) के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है।
- प्रति इकाई पूंजी पर जितना रोज़गार पैदा होता था अब उसका केवल 20% ही होता है।(बदलते शहर में रोज़गार, ख़तरा केन्द्र)
- नई आर्थिक नीति आने के 7 साल के भीतर दिल्ली में बेरोज़गारों की संख्या लगभग 300% बढ़ी है।(बदलते शहर में रोज़गार, ख़तरा केन्द्र)
- श्रम कानूनों के विनियमन के नाम पर असुरक्षित, अस्थायी एवं कम मज़दूरी पर श्रम को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण हो रहा है।
- इन सब के नतीजतन असंगठित क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। 1978 में 89% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में थे। अब 93% इस क्षेत्र में हैं।
- खुली अर्थव्यवस्था के चलते बहुत से देशी उद्योग–धंधे बंद होते जा रहे हैं जिससे बेरोज़गारी फैल रही है और संगठित क्षेत्र बर्बाद हो रहा है। मुम्बई, अहमदाबाद, और जयपुर में कपड़ा मिलों के बन्द होने से लाखों मज़दूर सड़क पर आ गए। जयपुर शहर में कई परम्परागत धंधे बिल्कुल गायब हो गए हैं – जैसे पीतल की नक्काशी, लाल मिट्टी बनाने का काम इत्यादि।

दिल्ली जैसे शहर में 1996 की उद्योगबंदी से लगभग 55,000 श्रमिक और सन 2000 की उद्योगबंदी से हज़ारों मज़दूर बेरोज़गार हुए हैं।

- पर्यावरण, प्रदूषण एवं विश्व स्तरीय शहर के नाम पर लोगों को उनके घर और धंधे से बेदखल किया जा रहा है। मुम्बई में नवम्बर 2004 से जनवरी 2005 के बीच 90,000 से 94,000 झुग्गी झोपडियों को तोड़ डाला गया। दिल्ली मे यमुना पुश्ता से 27,000 परिवार और लगभग 1 लाख परिवार दिल्ली के विभिन्न भागों से उजाड़ दिए गए। अहमदाबाद मे साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के नाम पर 30,000 परिवारों पर विस्थापन का खौफ छाया हुआ है।

लोगों के उद्योग धंधों पर ख़तरा मंडरा रहा है। रेडी पटरी, तहबाज़ारी का सफाया हा रहा है। रिक्शे बन्द किए जा रहे हैं।

दूसरे बदलाव जो मूलतः शासन व्यवस्था से संबन्धित है, अगर उस पर नज़र डालें तो पाते हैं किः–

- उदारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कानूनों को लचीला और पूंजीपतियों के पक्ष में बनाया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन और स्पेशल इकोनोमिक ज़ोन कानून (2005) इसी प्रक्रिया में उठाये गये कदम है।
- सरकार की खर्च करने की प्राथमिकताओं में बदलाव आ रहा है। शहर के आधारभूत ढांचे के रख–रखाव और उसके विकास से सरकार अपना हाथ खींच कर निजी क्षेत्र को सौंप रही है। और शहर की बुनियादी सुविधाओं से शहर के ग़रीब तबके को बेदख़ल किया जा रहा है।
- शहरी गरीबों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए सब्सीडी (छूट) को हटाकर सरकार पूंजी बाज़ार का सहारा ले रही है।

- ये बदलाव केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर देश के छोटे और मंझोले शहरों पर भी पड़ रहा है। और इस बदलाव की सबसे ज़्यादा मार झेल रहा है शहरी ग़रीब मज़दूर।इन बदलावों में शहरी ग़रीबों की दशा को समझने की कोशिश है यह अध्ययन।

ख़तरा केन्द्र

लेबर एजुकूशन एंड डेवलपमेंट सोसाईटी

# अध्ययन की ज़रूरत

सन् 1996 से दिल्ली के मेहनतकश मज़दूरों - रेड़ी पटरी वाले, रिक्शा चलाने वाले, तिपहिया चालक और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले झुग्गियों और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मज़दूरों के बीच काम करते हुए हम लोगों को यह अहसास हुआ कि शहरी गरीबों को दिल्ली शहर से योजनाबद्ध तरीके से हटाने की साजिश हो रही है – 1996 की उद्योगबंदी, रिक्शा पर प्रतिबंध, यमुना पुश्ता और दिल्ली की अन्य जगहों से झुग्गियों के विस्थापन से हज़ारों मज़दूर बेरोजगार हो गये। इसी बीच हमने देखा मुम्बई, कोलकता, हैदराबाद व चेन्नई में भी वहीं सिलसिला दोहराया जा रहा हैं

सारे शहरों में एक समानता थी। कोर्ट के आदेश, शहरों का सौन्दर्यीकरण व शहरो के पर्यावरण को साफ रखने की आड़ में ये सारे कर्मकांड किए जा रहा हैं। दिल्ली में किए गए अध्ययन में हमने पाया पूरी अर्थव्यवस्थ सेवा की तरफ बढ़ रही है और उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है और बेरोज़गारी बढ़ रही है।

बड़े शहरों में हो रहे इस बदलाव ने हमें भी सोचने पर मजबूर किया कि क्या ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित हैं या छोटे शहरों में भी हो रहे हैं। हमारे इस प्रश्न ने जयपुर में इस अध्ययन को प्रेरित किया।

❑ ❑ ❑

# बदलते जयपुर की तस्वीर

1727 में  सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की गई। जयपुर एक नियोजित शहर के रूप में, अपनी खास कलाकृति के कारण जाना जाता है। जयसिंह का जयपुर चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ था जिसके अन्दर आने के लिए नौ दरवाज़े थे। शहर के मकान एक ख़ास कलाकृति से बनें थे – राजा का मकान पीला और सार्वजनिक व अन्य लोगों का मकान गुलाबी था। इसलिए इसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। 1734 तक जयपुर एक बाज़ार के रूप में उभरने लगा और इसी दौरान कई बाज़ार स्थापित हुए जिसमें शामिल है जौहरी बाज़ार, सिरेह देवरी बाज़ार, किशनपोल बाज़ार और गनगौरी बाज़ार। सवाई जयसिंह ने इन बाज़ारों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारियों को जयपुर में व्यवसाय करने के लिए आमंत्रित किया और साथ ही उन्हें मुफ्त भूमी और करों में छूट दी गई। परिणामस्वरूप जयपुर एक व्यवसायिक केन्द्र के रूप में उभरा और जयपुर की सीमा का और भी अधिक विस्तार हुआ।

1727 से लेकर अब तक जयपुर का कई गुना विस्तार हुआ है। शहर के विस्तार के साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई। 1951 में जहां इसकी जनसंख्या 0.3 लाख थी वहीं 2001 में इसकी जनसंख्या 2.3 लाख हो गई। 1971 से 2001 के बीच औसतन वार्षिक बढ़त 4.1% से 4.7% के बीच में है। 1981 में जनसंख्या वृद्धि अधिकतम थी किन्तु 1991 में 0.6% की गिरावट आई और पुनः 2001 में जनसंख्या 0.2% की दर से बढ़ी। जनसंख्या में वृद्धि कुछ तो प्राकृतिक है और कुछ प्रवास (migration) के कारण।

1991 में जहां प्रवास से जनसंख्या में वृद्धि केवल 29% थी वहीं वह 2001 में घटकर 27% हो गयी। फिर भी प्रवासियों की कुल संख्या में वृद्धि हो रही है। 1991 से 2001

के बीच तकरीबन 2 लाख प्रवासियों की संख्या जुड़ी और प्रवासियों की संख्या 4 लाख से 6 लाख हो गयी।

प्रवास की उत्पत्ति पर नज़र डालें तो पाते हैं कि 1991 में जहां शहर और गांव से आने वाले लोगों की संख्या तकरीबन बराबर थी वहां 2001 में शहर से आने वाले लोगों की संख्या 30.5% से 53.4% हो गयी। वहीं गांव से आने वाले लोगों की संख्या 49.5% से घटकर 46.6% हो गयी। अर्थात दूसरे छोटे शहरों से बेहतर सम्भावनाओं की तलाश में लोग जयपुर का रुख कर रहे हैं। इन प्रवासियों में 1991 तक 70% प्रवासी राजस्थान से थे एवं 30% देश के अन्य भागों से। 2001 में प्रवासियों की जनसंख्या में राजस्थान का हिस्सा 2% गिरकर 68% हो गया और देश के अन्य भागों का हिस्सा 2% से बढ़कर 32% हो गया। इस प्रवास की मुख्य वजह रोज़गार, खासकर वाणिज्य और सेवाओं के क्षेत्र में रोज़गार की बढ़ती सम्भावनाओं को बताया जा रहा है। मास्टर प्लान 2011 के अनुसार प्रवासियों का 36% हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता हैं।

❑ ❑ ❑

*Map growing city*

# जयपुर की अर्थव्यवस्था

जयपुर की जनसंख्या की 30% आबादी कामगारों की है। कामगारो के काम का बंटवारे का ट्रेंड बताता है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है जिसमें 1991 में 31.8% कामगार कार्यरत हैं। उद्योग का स्थान दूसरा है जो 26.1% लोगों को रोज़गार देते है – 3.9% घरेलू उद्योग और 22.2% अन्य उद्योग। व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में 1961 में 16.47% से बढ़ोत्तरी हो कर 1991 में 23.98% हो गयी वहीं मास्टर प्लान 91 में व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में 70000 कामगारों का अनुमान लगाया था लेकिन इसकी संख्या 1,02,521 हो गयी। इसमें बढ़ोत्तरी का कारण अनौपचारिक क्षेत्र और दूसरे छोटे दुकानों का खुलना है।

वहीं दूसरी ओर उद्योग में रोज़गार 1961 में 26.50% से घटकर 1991 में 26.10% रह गया।

## अनौपचारिक क्षेत्र

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों – व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग, कृषि, निर्माण, परिवहन में एक अनौपचारिक क्षेत्र कार्यरत है।94% कामगार अर्थव्यवस्था के इसी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। जयपुर में अनौपचारिक क्षेत्र में 63% की बढ़ोत्तरी इन 10 सालों में हुई है तथा इसमें से 70% ऐसे रोज़गार हैं जो जयपुर में नए हैं। अनौपचारिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है पर क्या शहर की नीति में इनके लिए कोई स्थान है?

# बदलती अर्थव्यवस्था में बदलती नीति

शहर की नीतियों में मास्टर प्लान की अहम भूमिका होती है। मास्टर प्लान शहर का भविष्य तय करती है। इसी सन्दर्भ में अगर हम जयपुर मास्टर प्लान 91 पर एक नज़र डालें तो हमें दिखता है कि मास्टर प्लान 91 में आवासीय क्षेत्र को छोड़ दें तो बाकी क्षेत्रों में अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। भूमि उपयोग योजना में 52% आवासीय क्षेत्र के लिए विकास करना था और 62% विकास हुआ। 5.4% व्यवसायिक क्षेत्र के लिए होना था पर केवल 3.8% हुआ। इसी तरह से 16% हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र के लिए विकास करना था परन्तु केवल 10% ही विकास किया गया। 3 प्रस्तावित डिस्ट्रिक्ट सेन्टर में केवल 1 ही बनाया गया। अर्थात मास्टर प्लान 91 की ज़रूरत के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों का विकास नहीं कर पाया तो ज़ाहिर है कि मास्टर प्लान 2011 में योजनाकारों को उन कमियों को मास्टर प्लान 2011 योजना में शामिल करना चाहिए था। किन्तु 2011 मास्टर प्लान में इन बातों की अनदेखी की गई है। केवल 3% क्षेत्र ही व्यवसायिक केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना है जो व्यवसायिक मांगों से कहीं कम है। इसके नतीजतन लोग अपनी सुविधा से अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना व्यवसाय चला रहे हैं और सरकार इन्हें अनधिकृत करार कर रोज़गार करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। मास्टर प्लान 2011 ख़ुद मानती है कि जयपुर में असंगठित क्षेत्र में इन 10 सालों में 63% की बढ़ोत्तरी हुई है। वह यह भी मानती है कि असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परन्तु योजना में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। एक तरफ तो व्यवसायिक केन्द्र ज़रूरत के मुताबिक नहीं है दूसरी तरफ जिस तरह की परियोजना प्रस्तावित है उनसे साफ ज़ाहिर है कि योजनाकारों की नीयत क्या है?

## मास्टर प्लान 2011 में प्रस्तावित आर्थिक गतिविधी केन्द्रः

- महेन्द्र सिटी (स्पेशल इकानोमिक ज़ोन)
- वर्ल्ड ट्रेड पार्क
- हाथी गांव
- फिल्म सिटी
- आई.टी.सिटी
- नोलेज कोरिडोर
- 72 कि.मी. लम्बा 3 लेन की रिंग रोड
- जेम्स और ज्वेलरी बाज़ार
- एम्यूज़मेंट पार्क
- रोप वे
- दस्तकार नगर
- मेडी टेक सिटी
- अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर
- अन्तर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स
- राजस्थान हेबीटेट सेन्टर, एन.आर.आई कालोनी
- एन.आर.आई हाऊसिंग फेज़ 2, 40,000 स्क्युएर मीटर में
- मेट्रो रेल कोरीडोर
- स्पोर्टस कोम्प्लेक्स
- गोल्डन जुबली गार्डन

**स्त्रोतः मास्टर प्लान 2011**

*Map: proposed dev plan*

उपरोक्त सभी प्रस्तावित परियोजना से स्पष्ट होता है कि सारी परियोजना मल्टीनेशनल को शहर में आकर्षित करने के लिए की जा रही हैं।

इसी कड़ी में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत तैयार 'जयपुर' शहरी विकास योजना है। विकास योजना जयपुर को आर्थिक रूप से एक वाइब्रेन्ट व उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी सुविधा वाले शहर के रूप में देखना चाहती है। परन्तु इस आर्थिक वाइब्रेन्ट शहर में गरीब मज़दूर, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों की क्या स्थिति होगी, उनके लिए क्या व्यवस्था है?

जयपुर शहर विकास योजना यह चिन्हित करता है कि शहर में बेरोज़गारी बढ़ा रही है और मज़दूर हाशिये पर जी रहे हैं। उसके बावजूद भी उनकी बेरोज़गारी दूर करने और मुख्य धारा में लाने के कोई उपाय नहीं सुझाए गए हैं। क्या शहर का विकास केवल अभिजात्य वर्ग व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए सुविधाएं जुटाने से हो जायेगा?

इन सारी परियोजना से जयपुर एक विश्वस्तरीय शहर तो बन जाएगा पर उनमें रहने वाले मज़दूर और गरीब और बेरोज़गार होंगे। जिसकी झलक अभी से दिखनी शुरू हो गई है।

❑ ❑ ❑

# घरेलू महिला कामगार

एक तरफ जहां उदारीकरण के बाद श्रम कानूनों के विनियमन के नाम पर असुरक्षित, अस्थायी एवं कम मज़दूरी पर श्रम को प्रोत्साहित किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी श्रम है जिनके काम की कोई पहचान ही नहीं है।घरेलू कामगार मज़दूर, जिनके श्रम को असंगठित क्षेत्र का भी हिस्सा नहीं माना जाता। इसलिए यह आश्चर्य नहीं कि घरेलू कामगार को उस श्रम के रूप में भी नहीं देखा जाता है जिनको राज्य की सहायता की ज़रूरत हो और इसलिए भी उन्हें असंगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा बिल 2005 में भी जगह नहीं मिली है।

उनके श्रम के अदृश्य होने के कारण उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती है– कम वेतन, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना झेलनी पडती हैं।

बिना प्रश्न किए काम करना उनकी नियती बन गई है। अब जब नई अर्थव्यवस्था में इनका श्रम मध्यवर्ग की आर्थिक उन्नति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है, उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई है। सामाजिक सुरक्षा तो दूर, सुरक्षित काम का माहौल व काम में इज्जत भी नहीं मिलती (अधिकांश घरों में इन्हें शक की दृष्टि से भी देखा जाता है)

एक आंकडे के मुताबिक भारत में 20 लाख महिला कामगार हैं जिसमें 92% महिलाएं लड़कियां व बच्चे हैं। मुम्बई जैसे शहर में 6 लाख महिला कामगार है। जयपुर जैसे छोटे शहर में महिला कामगारो की संख्या दिनों–दिन बढ़ती जा रही है परन्तु उनकी संख्या का किसी भी प्रकार का सरकारी व गैर सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

## 1. निजी जानकारी

कुल 200 महिला कामगारेां का अध्य्यन जयपुर के शास्त्री नगर एवं जवाहर नगर कच्ची बस्तियों में किया गया। और ये सारी महिला कामगार पार्ट टाईम कामगार थीं। (फुल टाईम कामगार के पास सर्वेक्षण के लिए पहुंचना आमतौर पर आसान नहीं होता क्येांकि वे घर से बाहर आसानी से नहीं निकल पाती और मालिक की उपस्थिति में कुछ भी कहने से कतराती हैं) जिनमें 14-20 वर्ष के 9.5% कामगार 21-30 वर्ष के 30%, 31-40 वर्ष के 39% व 41-50 वर्ष के 17.5% (टेबल 1)कामगार है और उनमें से 86% विवाहित एवं 10% अविवाहित हैं (टेबल 2)।

Map: Location

**(1) आयु वर्ग**

| क्र.सं | आयु (वर्ष) | नं | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | 14-20 | 19 | 9.5 |
| 2 | 21-30 | 60 | 30 |
| 3 | 31-40 | 78 | 39 |
| 4 | 41-50 | 35 | 17.5 |
| 5 | 51 से अधिक | 6 | 3 |
| 6 | कोई जवाब नहीं | 2 | 1 |
| | कुल | 200 | 100 |

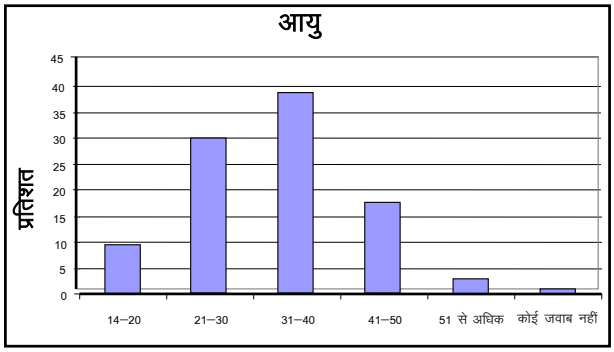

**(2) वैवाहिक स्थिति**

| क्र.सं | वैवाहित स्थिति | नं | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | वैवाहिक | 172 | 86 |
| 2 | अविवाहित | 20 | 10 |
| 3 | कोई जवाब नहीं | 8 | 4 |
| | कुल | 200 | 100 |

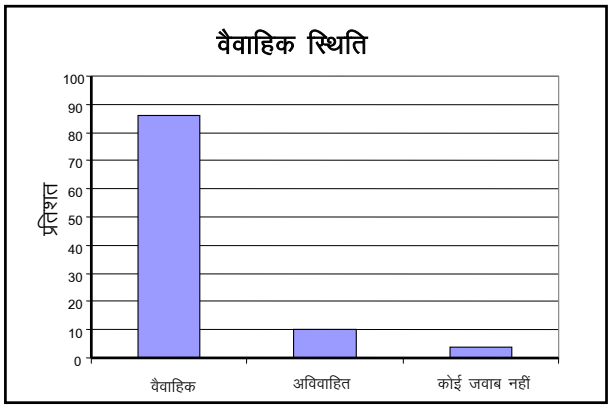


86% महिला कामगारों का विवाहित होना दो तथ्यों की ओर इंगित करता है:–
जयपुर जैसे शहरों में जहां महिलाएं पर्दे में रहना पसन्द करती थी या रहती थी वहीं आज काम के सिलसिले में पर्दे से ही नहीं बल्कि घर से भी बाहर निकल रही हैं परन्तु क्या आज महिलाओं का घर से निकलने को हम उनके सशक्तिकरण के रूप में देख सकते हैं? शायद नहीं, इसमें सशक्तिकरण से कहीं ज्यादा उनकी मजबूरी है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है उदारीकरण के बाद रोज़गार में जैसे बदलाव दिख रहे हैं (हमारे अन्य अध्ययनों में जैसा दिख रहा है घर के पुरुष मज़दूरों को कम काम के साथ मज़दूरी भी मिलनी कम हुई है)। नतीजतन घर की महिलाओं को घरेलू कामगार के रूप में काम कर अपने परिवार की जीविका चलानी पड़ रही है। चूंकि इनके पास अन्य किसी तरह की कुशलता नहीं होती जैसा कि हम देख सकते

हैं, 71.5% (टेबल 3) कामगार निरक्षर हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे घरेलू कामकाज को छोड़ अन्य किसी काम को नहीं करती। ज्ञात हो कि उन्हें अपने काम के साथ परिवार की भी देखभाल करनी पड़ती है।

**(3) शिक्षा**

| क्र.सं | शिक्षा | नं | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | अनपढ़ | 143 | 71.5 |
| 2 | प्राइमरी | 53 | 26.5 |
| 3 | माध्यमिक | 3 | 1.5 |
| 6 | कोई जवाब नहीं | 1 | 0.5 |
| | कुल | 200 | 100 |

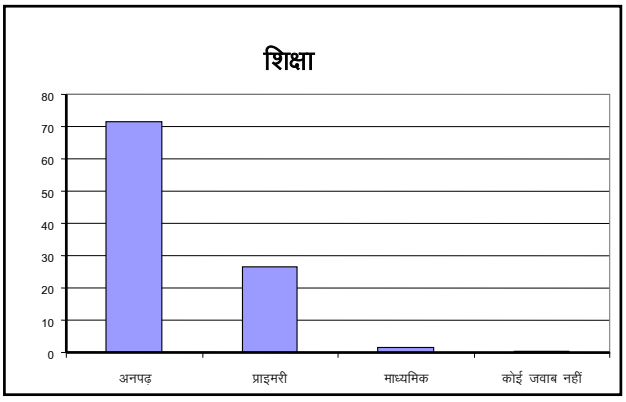


## 2. काम की स्थिति

उदारीकरण के बाद हुए विकास ने मज़दूरों को आर्थिक रूप में बदहाल बना दिया है और मज़दूर अपने जीविका को चलाने के लिए हर तरह के प्रयत्न कर रहा है। और उसी का एक उदाहरण है महिलाओं का घर से बाहर निकल कर काम पर आना (जब हम यह कहते हैं कि महिलाएं घर से काम करने के लिए बाहर निकल रही है इसका मतलब कतई यह नहीं है कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए परन्तु हमारा मकसद इस ओर ध्यान दिलाना है कि महिलाएं किस मजबूरी में महिला कामगार के रूप में काम करने पर विवश हैं)। हमारे अध्य्यन बता रहे हैं कि

9.5% महिलाएं 1 वर्ष से कम समय से घरेलू काम कर ही हैं एवं 59% 1-5 वर्षों से, 21% 6-10 वर्षों से और 10.5% 10 वर्षों(टेबल 4) से अधिक समय से घरेलू काम कर रही हैं। साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि 11.5%(टेबल 5) महिलाएं घरेलू काम करने से पहले अन्य तरह का काम करती थी जिनमें 39.13% बंधेज का काम करती थी, 4.35% जरदोजी का, 34.78% कृषी व 13.04% महिलाएं सिलाई का काम करती थी(टेबल 6) । ज्ञातव्य हो कि ये सारे काम जिनको महिलाएं छोड़कर घरेलू काम में आयी हैं, जयपुर में काफी पुराने काम हैं जिनमें उदारीकरण के बाद रोज़गार कम हुआ और साथ ही मज़दूरी भी घटी है (बंधेज व जरदोजी के लिए देखें हमारे अन्य अध्य्यन) यानि उनके कामों में स्थायित्व नहीं है।

**(4) काम के वर्ष**

| क्र.सं | आयु (वर्ष) | नं | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 वर्ष से कम | 19 | 9.5 |
| 2 | 1-5 वर्ष | 118 | 59 |
| 3 | 6-10 वर्ष | 42 | 21 |
| 4 | 10 वर्ष से अधिक | 21 | 10.5 |
| | कुल | 200 | 100 |

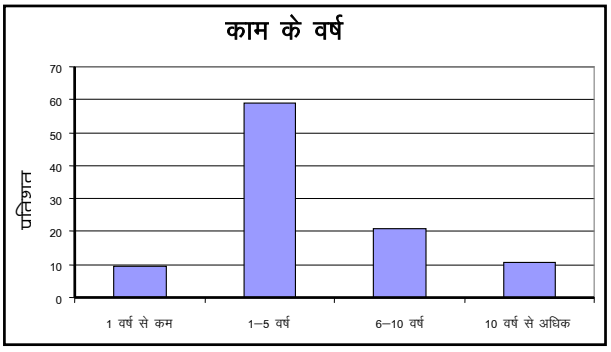

**(5) घरेलू काम से पहले काम**

| क्र.सं | | नं | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | हां | 23 | 11.5 |
| 2 | नहीं | 176 | 88 |
| 3 | कोई जवाब नहीं | 1 | 0.5 |
| | कुल | 200 | 100 |

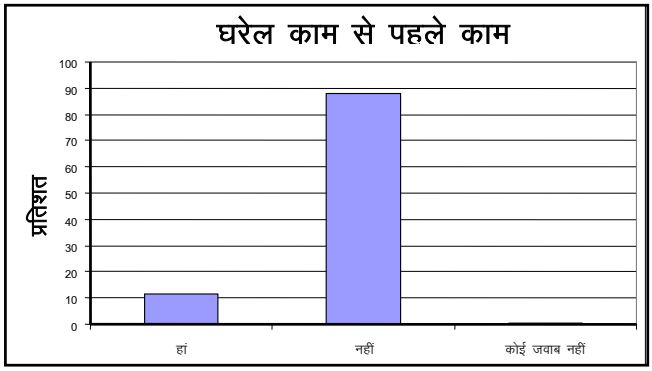


**(6) अन्य कामों से स्थानांत्रण**

| क्र.सं | काम | नं | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | बंधेज | 9 | 39.13 |
| 2 | जरदोजी | 1 | 4.35 |
| 3 | कृषि | 8 | 34.78 |
| 4 | सिलाई | 3 | 13.04 |
| 6 | कोई जवाब नहीं | 2 | 8.70 |
| | कुल | 23 | 100 |

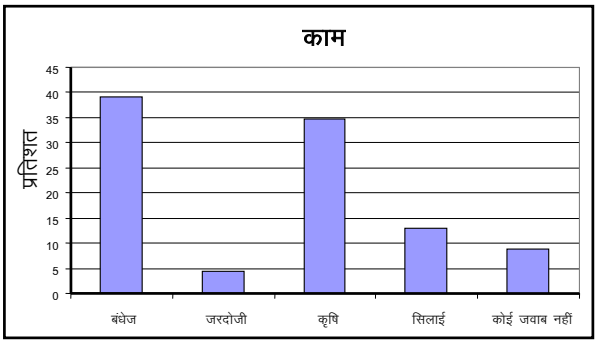

चूंकि हमारे सैम्पल के सारे कामगार पार्ट टाईम काम करती हैं इसलिए वे एक से ज़्यादा घरों में भी काम करती हैं। हमारे अध्य्यन में 64% महिलाएं 1-2 घरों में, 34.5%, महिलाएं 2-5 घरों में व 0.5% महिलाएं 5 से ज़्यादा घरों में काम करती हैं(टेबल 7)। इसके साथ ही अगर हम प्रत्येक घर में उनके काम के घंटे को देखें तो पाते हैं कि 65.5% महिलाएं 1-3 घंटे काम करती हैं वहीं 31% महिलाएं 3-5 घंटे व 3% 5 घंटे(टेबल 8) से अधिक काम करती हैं। यानि अधिकतम महिलाएं पूरे दिन में 2-6 घंटे काम करती हैं। ज्ञात रहे कि महिलाओं को दोहरी ज़िम्मेदारी–काम के साथ–साथ घर की भी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ती है इसलिए वे अपना काम अपने घर के नज़दीक ही ढूंढती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 75% महिलाएं 1-5 कि.मी की दूरी तय करती हैं, 23% 6-10 कि.मी व 0.5% 11-15 कि.मी(टेबल 9) की दूरी तय करती हैं। और इन दूरियों को 79.5% महिलाएं पैदल तय करती हैं व 18% महिलाएं बस(टेबल 10) से अपनी–अपनी दूरी तय करती हैं।

**(7) एक दिन में घरों की संख्या**

| क्र.सं | घरों की संख्या | नं | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 128 | 64 |
| 2 | 2-5 | 69 | 34.5 |
| 3 | 5 से अधिक | 1 | 0.5 |
| 4 | कोई जवाब नहीं | 2 | 1 |
| | कुल | 200 | 100 |

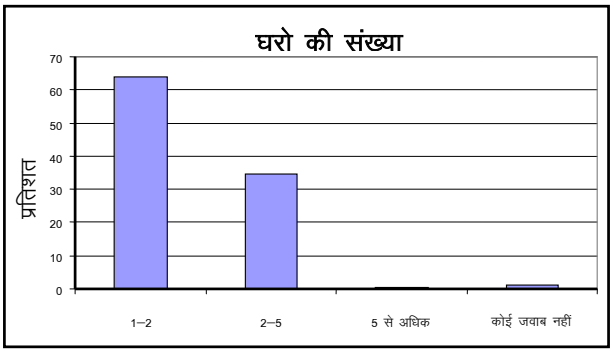

**(8) काम के घंटे**

| क्र.सं | घंटे | नं | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | 131 | 65.5 |
| 2 | 3-5 | 62 | 31 |
| 3 | 5 से अधिक | 6 | 3 |
| 4 | कोई जवाब नहीं | 1 | 0.5 |
| | कुल | 200 | 100 |

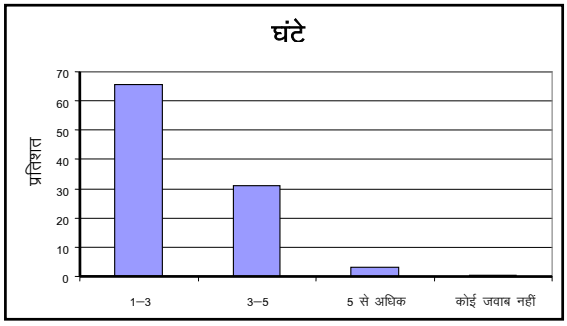


**(9) काम की दूरी**

| क्र.सं | दूरी (कि.मी) | नं | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5 | 150 | 75 |
| 2 | 6-10 | 46 | 23 |
| 3 | 11-15 | 1 | 0.5 |
| 4 | कोई जवाब नहीं | 3 | 1.5 |
| | कुल | 200 | 100 |

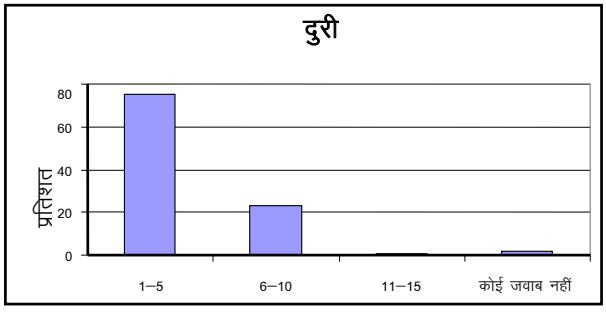

**(10) दूरी तय करने के साधन**

| क्र.सं | साधन | नं | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | बस | 36 | 18 |
| 2 | पैदल | 159 | 79.5 |
| 3 | अन्य | 4 | 2 |
| 4 | कोई जवाब नहीं | 1 | 0.5 |
| | कुल | 200 | 100 |

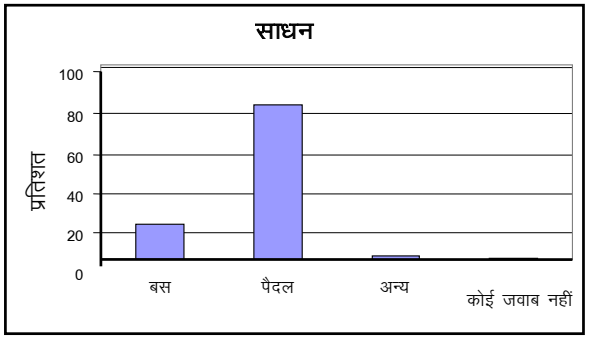


## 3. आमदनी

घरेलू महिला कामगार को महत्वपूर्ण उत्पादक श्रम शक्ति मानने के बजाए सिर्फ मालिक के एक यंत्र के रूप में जाना जाता है। उनके मालिक के आर्थिक विकास में योगदान और अंततः देश के विकास में योगदान को अभी भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूम मज़दूरी/श्रम की सही कीमत उनको नहीं मिलती। हमारे अध्य्यन बता रहे हैं 18% महिलाओं को 100-300 रु. के बीच की मज़दूरी मिलती है। वहीं 47.5% महिलाओं को 301-500 रु. के बीच व 30.5% महिलाओं को 501-800 रु. के बीच मज़दूरी मिलती है(टेबल 11) । वहीं हम यह भी देख रहे हैं कि 1-2 घरों में काम करने वाली महिलाओं में 43.75% और 2-5 घरो में काम करने वाली महिलाओं में 52.95% महिलाएं 301-500 रु. के बीच मज़दूरी पाती है(टेबल 12) । यानि अधिकतर महिलाओं की औसतम आय 1500-2000 के बीच है।

**(11) मासिक आमदनी (प्रत्येक घर से)**

| क्र.सं | आमदनी | नं | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | 100-300 | 32 | 16 |
| 2 | 301-500 | 95 | 47.5 |
| 3 | 501-800 | 61 | 30.5 |
| 4 | 801-1000 | 10 | 5 |
| 5 | 1000 से अधिक | 2 | 1 |
| | कुल | | |

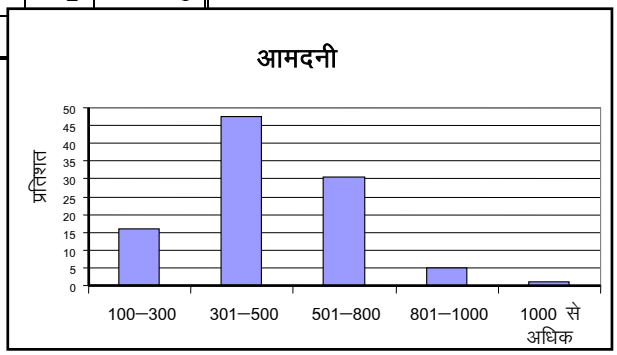


**(12) घरों की संख्या एवं मासिक आमदनी (प्रत्येक घर से)**

| | 100-300 | 301-500 | 501-800 | 801-1000 | 1000 से अधिक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 से 2 घर | 19 | 56 | 43 | 8 | 2 |
| **प्रतिशत** | **14.85** | **43.75** | **33.60** | **6.25** | **1.56** |
| 2 से 5 घर | 12 | 36 | 18 | 2 | 0 |
| **प्रतिशत** | **17.65** | **52.95** | **26.99** | **2.94** | **0** |
| 5 घरों से अधिक | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **प्रतिशत** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

## 4. काम से जुड़ी परिशानियां

घरेलू काम–काज करने वाली महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानियों में सामाजिक सुरक्षा का न होना। कई सालों तक काम करने के बाजवूद वेतन में वृद्धि न होना, ज़रूरत पड़ने पर व त्यौहारों के दिनों में भी छुट्टी का न मिलना, जैसा कि हमारे अध्य्यन बता रहे हैं 3.5% कामगारों के वेतन में आख़िरी बार वृद्धि 6 महीने पहले हुई

थी। 15.5% की 1 साल पहले, 7% की 2 साल पहले व 68% कामगारों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई। वहीं अगर हम उनके काम के वर्षों के साथ वेतन में वृद्धि को देखें तो पाते हैं कि वर्ष बढ़ने के साथ–साथ कामगारेां की आमदनी 50-100 रु. के बीच बढ़ तो रही है परन्तु बहुसंख्यक 1-5 वर्ष काम करने वाले 81.42% कमागारों के वेतन नहीं बढ़े। 6-10 वर्ष काम करने वाले 51.28% व 10 वर्ष से अधिक काम कने वाले 36.84% कामगारेां के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई।(टेबल 14)

**(13) वेतन मे वृद्धि**

| क्र.सं | महीने/वर्ष | नं | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 महीने पहले | 7 | 3.5 |
| 2 | 1वर्ष पहले | 31 | 15.5 |
| 3 | 2 वर्ष पहले | 14 | 7 |
| 4 | 3 वर्ष पहले | 2 | 1 |
| 5 | कोई वृद्धि नहीं | 136 | 68 |
| 3 | कोई जवाब नहीं | 10 | 5 |
| | कुल | 200 | 100 |

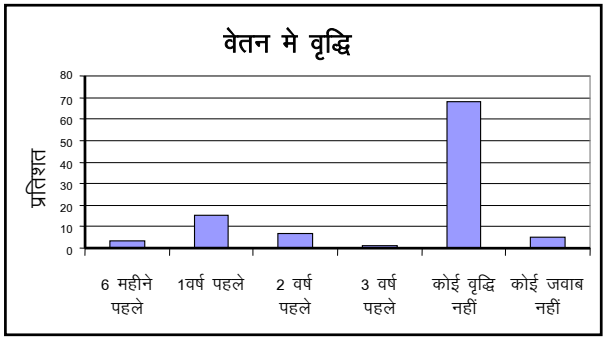

**(14) काम के वर्षों के साथ आमदनी में बढ़ोत्तरी**

| | 25 रु. | 50 रु. | 100 रु. | 150 रु. | नहीं बढ़ी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 साल से कम | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| **प्रतिशत** | **0** | **0** | **5.56** | **0** | **94.44** |
| 1 से 5 वर्ष | 1 | 8 | 12 | 0 | 92 |
| **प्रतिशत** | **0.88** | **7.08** | **10.62** | **0** | **81.42** |
| 6 से 10 वर्ष | 1 | 5 | 12 | 1 | 20 |
| **प्रतिशत** | **2.56** | **12.82** | **30.79** | **2.56** | **51.28** |
| 10 वर्ष से अधिक | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 |
| **प्रतिशत** | **0** | **5.26** | **57.89** | **0** | **36.84** |

उपरोक्त टेबल से यह समझा जा सकता है कि आमदनी में बढ़ोत्तरी काम के वर्षों पर निर्भर नहीं है। बल्कि निर्भर है मालिक पर। उनकी मर्ज़ी होगी तो वेतन बढ़ेगा नहीं तो नहीं।

(15) **छुट्टी**

| क्र.सं | | नं | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | हां | 33 | 16.5 |
| 2 | नहीं | 166 | 83 |
| 3 | कोई जवाब नहीं | 1 | 0.5 |
| | कुल | 200 | 100 |

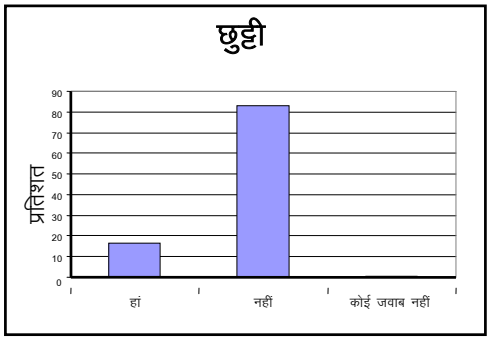


**(16) त्यौहार के दौरान छुट्टी**

| क्र.सं | | नं | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | हां | 20 | 10 |
| 2 | नहीं | 178 | 89 |
| 3 | कोई जवाब नहीं | 2 | 1 |
| | कुल | 200 | 100 |

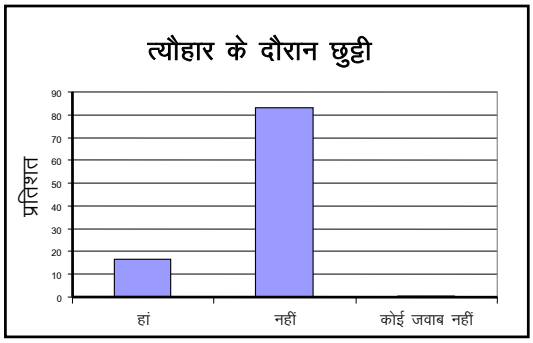

जब घरेलू काम करने वाली महिलाओं से ये जानने की कोशिश की गई कि क्या उन्हें ज़रूरत पड़ने पर और त्यौहार के दिनां में छुट्टि मिल जाती है तो जैसा कि उपरोक्त दोनों टेबल से स्पष्ट हो रहा ह, 83% महिलाओं को ज़रूरत पड़ने पर छुट्टि नहीं मिलती वहीं 89% महिलाओं को त्यौहार के दिनों पर भी छुट्टि नहीं मिलती।

इसी के मद्देनज़र जब यह जानने की कोशिश की गई क्या उन्हें त्यौहार के दिनों में काम करने से अतिरिक्त पैसे मिलते हैं :

**(17) त्यौहार के दिन काम करने के अतिरिक्त पैसे**

| क्र.सं | | नं | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | हां | 3 | 1.5 |
| 2 | नहीं | 197 | 98.5 |
| | कुल | 200 | 100 |

98.5% महिलाओं ने कहा उन्हें त्यौहार के दिन काम करने के अतिरिक्त पेसे नहीं मिलते हैं।

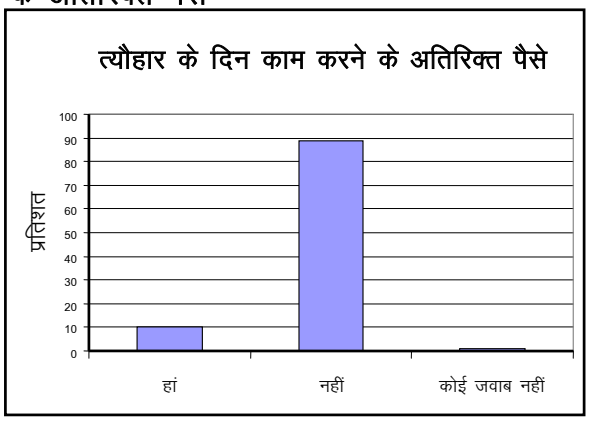


**(18) बिमारी के दौरान मालिक की मदद**

| क्र.सं | | नं | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | हां | 3 | 0.5 |
| 2 | नहीं | 199 | 99.5 |
| | कुल | 200 | 100 |

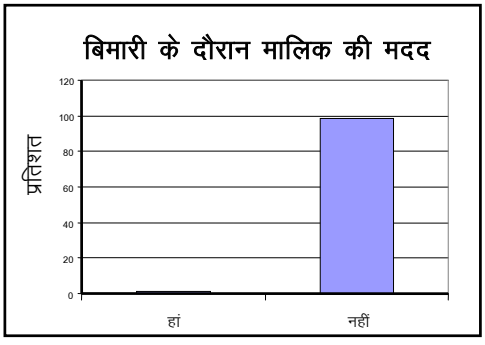


99.5% महिलाओं ने कहा बिमारी के दैरान मालिक से उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलती।

टेबल 14 से टेबल 18 तक से यही बात उभर कर सामने आ रही है कि घरेलू काम करने वाली महिला मज़दूरों की हालत बंधुआ मज़दूर से जुदा नहीं है। जहां छुट्टी से लेकर वेतन में बढ़ोत्तरी तक मालिक की मर्ज़ी पर है। अपने श्रम का सौदा भी नहीं कर सकते हैं। यही नहीं इनको किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलती है।

❑ ❑ ❑

# निष्कर्ष

घरेलू महिला कामगार को ले कर समाज में एक मिथक प्रचलित है कि यह कामगारों को ग़रीबी से छुटकारा दिलाती है और क्योंकि इसमें कोई ख़तरा निहित नहीं है इसलिए इस काम का कोई बुरा प्रभाव उनके सेहत पर नहीं पड़ता। परन्तु हकीकत यह है कि यह न तो गरीबी से निजाद दिला रही है और न ही सुरक्षित है। महिला कामगारें पर किए गए अन्य अध्य्यन व राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा सम्पन्न जन सुनवाई भी यह कहते हैं कि इन महिला कामगारों को वेतन न मिलने के अलावा कई तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। घरेलू कामगारों की बढ़ती मांग और इनके साथ ही पनपते प्लेसमेंट एजेंसियां जो कामगारें और काम देने वालों के बीच बिचौलिए का काम करती हैं, अक्सर उनका शोषण इन बिचौलिए द्वारा भी होता है।

जयपुर में घरेलू काम बिल्कुल नया है जो अब धीरे–धीरे बढ़ रही है। यहां अभी भी अन्य बड़े शहरें की तरह प्लेसमेंट एजेंसियां कामगार और काम के बीच की कड़ी नहीं है। किन्तु हम यहां भी देख रहे हैं कि महिलाओं के वेतन में वृद्धि कई साल काम करने के बावजूद भी नहीं होती और स्वाभाविक छुट्टी भी आसानी से नहीं मिलती। कम वेतन मिलने की वजह से महिलाएं एक, दो और उससे भी ज़्यादा घरों में काम करती हैं।

घरेलू महिला कामगारों के श्रम को पहचान न मिलना और परोक्ष रूप में अर्थव्यवस्था का हिस्सा न स्वीकारने की वजह से उनके श्रम को वह स्थान नहीं मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं।

❑ ❑ ❑

**For further details, please contact:**
**Hazards Centre**
**92 H Pratap Market**
**Munirka**
**New Delhi 110067**
**011-26187896, 26714244**
**haz_cen@vsnl.net**

Cover page by Vinod Koshti